रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2013/चैत्र 14, 1935
No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2013/CHAITRA 14, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2013

जांच शुरुआत

(निर्णायक समीक्षा)

विषय :–चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फर ब्लैक' के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच की शुरूआत ।

सं. 15/18/2012-डीजीएडी.—वर्ष 1995 तथा उसके पश्चात् यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फर ब्लैक' (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यत:, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल जांच दिनांक 26 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 14/16/2006-डीजीएडी के तहत शुरु की थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 10 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं.14/16/2006-डीजीएडी के अनुसार जारी किया गया था तथा दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 48/2008 द्वारा राजस्व विभाग द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। निश्चयात्मक यथामूल्य शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 24/09/2008 की अधिसूचना सं.14/16/2006-डीजीएडी के तहत जारी किया गया

था। यह अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में 22 अक्टूबर, 2008 की शुद्धिपत्र अधिसूचना के तहत पुन: संशोधन किया गया था। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 03/12/2008 का अधिसूचना सं. 127/2008 के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा निश्चयात्मक मूल्यानुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. यत:, मै. अतुल लि. तथा मै. भानु डाईज प्रा.लि. ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति की संभावना तथा उसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आरोप लगाते हुए अधिनियम तथा नियमों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं व उत्पादकों की ओर से प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्यों द्वारा विधिवत समर्थित आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा जारी रहने का औचित्य तथा उसको बढ़ाने का आग्रह किया है।

घरेलू उद्योग

4. घरेलू उद्योग की ओर से मै. अतुल लि. तथा मै. भानु डाइज प्रा.लि. ने निर्णायक समीक्षा हेतु आवेदन दायर किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा रखते है और इसलिए नियमों के अर्थ के भीतर वे घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

5. मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) में विचाराधीन उत्पाद सल्फर ब्लैक है। निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में उल्लिखित उत्पाद ही है। सल्फर ब्लैक का उत्पादन दानों/कतरों के स्वरुप में अथवा तरल रुप में किया जाता है। दानों के स्वरुप में सल्फर ब्लैक एक चमकदार दाना होता है जिसका रंग हल्के लाल अथवा हरी आभा के साथ पूर्णत: काला होता है। सल्फर ब्लैक का उपयोग मुख्यत: सेल्यूलोज फाइबर को रंगने में किया जाता है। सल्फर ब्लैक विस्कस स्टेपल फाइबर तथा यार्न, कागज तथा चमड़े को रंगने में भी उपयोगी है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है अत: इस जांच में मूल जांच में उल्लिखित वस्तु को कवर किया जाता है।

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश द्वारा आयातित संबद्ध वस्तु में कोई अंतर नहीं है। यह उत्पाद आयातकों तथा प्रयोक्ताओं द्वारा सीधी तौर पर आयात किया जा रहा है। उपभोक्ता घरेलू तथा आयातित उत्पाद को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ला रहे हैं। पाटनरोधी नियमों के नियम 2(घ) में समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

"समान वस्तु" से वह वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटित किए जाने हेतु जांचाधीन वस्तु से सभी तरह से समान अथवा मिली-जुलती हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में, ऐसी वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान न हो, परंतु जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तुओं से काफी मिलती जुलती हो;"

7. प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार उल्लेख किया गया-

"उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मानना है कि सभी स्वरुपों एवं मात्रा में सल्फर ब्लैक तकनीकी एवं वाणिज्यिक रुप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए इस जांच के प्रयोजनार्थ समान वस्तु है। तदनुसार इस जांच में सल्फर ब्लैक (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के सभी स्वरुपों को शामिल किया गया है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 32 में वर्गीकृत किया गया है। आठ अंकहय स्तर पर विशेष टैरिफ शीर्ष 32041967 है।"

8. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देश से आयातित उत्पाद सभी अनिवार्य विशेषताओं में समान है और इसलिए नियमों के आशय के अंतर्गत वे समान वस्तु हैं। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को उपर्युक्त नियम के आशय के अंदर संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

9. सल्फर ब्लैक को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 32 के उपशीर्षक 3204 19 तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण तथा कोडिंग प्रणाली के आधार पर) के तहत उपशीर्षक 320419 67 में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नही है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

10. यत: पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार साक्ष्यों के साथ विधिवत प्रस्तुत आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति की संभावना की समीक्षा करने के लिए एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करते हैं।

शामिल देश

11. इस जांच में शामिल देश चीन जन गण है।

जांच की अवधि

12. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 (12 महीने) है और क्षति अवधि में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 24.9.2008 की अधिसूचना सं. 14/16/2006-डी जी ए डी के तहत प्रकाशित तथा दिनांक 22 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/6/2006-डी जी ए डी के तहत संशोधित मूल जांच से संबंधित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल हैं।

14. उपर्युक्त नियमों के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार को, माध्यम से उत्पाद से संबद्ध समझे जाने वाले भारत के आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा गया है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबध्द शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

16. कोई अन्य हितबध्द पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच से संबंधित निवेदन निर्धारित स्वरुप और ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय सूचना

प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षित है कि वह प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय संस्करण अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

<u>समय-सीमा</u>

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजी जानी चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिन) के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के प्रारंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) की सूचना देने और उनके प्रश्नावली संबंधी उत्तर फाइल करने तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा अन्यथा की आवश्यकता के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर उनकी टिप्पणी प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध करना</u>

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. की इत्यादि सहित) । प्रस्तुत की गई पूरी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पस्ट रुप से चिह्नित होना चाहिए।

20. गोपनीय चिह्न लगाए बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रुपांतर की दो (2) प्रतियों तथा गोपनीय रुपांतर की पांच (5) प्रतियां अवश्यक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रस्तुत सूचना के साथ इस बात का ठोस कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि वह सूचना प्रकट क्यों नही की जा सकती और/ अथवा उस सूचना का सारांश बनाना क्यो संभव नही है।

22. अगोपनीय रूपांतर, गोपनीय रुपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए जिसमें सूचना गोपनीयता के आधार पर गोपनीय सूचना को अधिमानत: सूचीबद्ध किया जाए/अथवा वह स्थान रिक्त रखा

जाए। अगोपनीय सारांश पर्याप्त रुप से विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का अर्थ समुचित रुप से स्पष्ट हो सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह निवेदन कर सकता है कि प्रस्तुत की गई सूचना का सारांश करना संभव नही है, ऐसी स्थिति में प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश संभव न होने का कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

23. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के पश्चात प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता हेतु अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सारांश रुप से उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना का नजर अंदाज कर सकते हैं।

24. प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना को उसके साथ उसके एक सारगर्भित अगोपनीय रुपांतर अथवा गोपनीयता का दावा करते हुए ठोस कारण दर्शाते हुए विवरण के बिना, अस्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने तथा गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने के पश्चात, ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार केद विशिष्ट प्राधिकारी के बिना उस सूचना को किसी पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

25. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

<u>असहयोग</u>

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2013

Initiation

(Sunset Review)

Subject :—Initiation of Sun Set Review (SSR) investigation of the anti-dumping duty imposed on the imports of 'Sulpher Black' originating in or exported from China PR.

No. 15/18/2012-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of 'Sulpher Black' (hereinafter refereed as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2) WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/16/2006-DGAD dated 26th June, 2007. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/16/2006-DGAD dated 10th March, 2008 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No.48/2008-Customs dated 11th April, 2008. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No.14/16/2006-DGAD dated 24.09.2008, recommending imposition of definitive ad-valorem duty. The Final Finding Notification was further amended by the Authority vide Corrigendum notification dated 22nd October, 2008. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive ad-valorem anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, vide Notifications No. No.127/2008-Customs dated 03.012.2008.

3) Whereas,M/s Atul Ltd and M/s Bhanu Dyes Pvt. Ltd have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry

4) The application for the sunset review has been filed by M/s Atul Ltd and M/s Bhanu Dyes Pvt. Ltd, on behalf of the domestic industry. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article

5) The Product under Consideration (PUC) in the original as well as present SSR investigation is Sulphur Black. Being a sun set review; the PUC remains the same as in the original investigation. Sulphur black is produced either in grain/flake form or in liquid form. Sulphur Black in grain form is a lustrous grain, imparts full black shade with a slight reddish or greenish tone. Sulphur Black is mainly used for dyeing cellulose fiber. Sulphur Black is also useful for dyeing viscose staple fiber and yarn, paper and leather. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation.

6) The applicant has claimed that there is no difference in the subject good produced by the domestic industry and the subject product imported from the subject country. The product is being directly imported by the importers and users. The consumers are using the domestic and imported product interchangeably. Applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules with regard to like article provides as under: -

> *"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

7) The Authority held in the final findings of the original investigation as follows

> *"In view of the above, the Authority holds that sulphur black in all forms and all strengths are inter se technically and commercially substitutable and therefore, like articles for the purpose of this investigation. Accordingly, this investigation covers sulphur black in all forms and all strengths (hereinafter referred to as subject goods). The product is classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act. Specific tariff head at Eight Digit level is 32041967."*

8) The products produced by the domestic industry and imported from the subject country are identical in all essential characteristics and therefore, are like articles within the meaning of the Rules. In view of the above position, for the purpose of the

present investigation, the product produced by the applicant is being treated as like article to the product imported from the subject country within the meaning of Rules supra.

9) Sulphur Black is classified in Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 3204 19 and under subheading 320419 67 under the Indian Trade Classification (Based on Harmonized Commodity Description and Coding system). However, the above classification is indicative only and is no way binding on the scope of this investigation. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Initiation of Sunset Review

10) WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved

11) The country involved in this investigation is China PR.

Period of Investigation

12) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st January, 2012 to 31st December, 2012 (12 months) and injury period as 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

Procedure

13) The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.No.14/16/2006-DGAD dated 24.09.2008 and amended vide Notification No.No.14/16/2006-DGAD dated 22nd October, 2008.

14) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

15) The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

16) Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

17) Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

18) All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

19) In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

20) Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

21) For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22) The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

23) The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24) Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

25) In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26) In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.